119

खंड ६ संख्या १

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

(भाग २—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

सोमवार, तिथि १४ सितम्बर १९५९

Vol. VI No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

(Part II—Proceedings other than Questions and Answers)

Monday, the 14th September, 1959

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार
पटना, द्वारा मुद्रित
१९६०

[मूल्य—३७ नये पैसे ।]
[*Price—37 Naye Paise.*]

श्री रामानन्द तिवारी—इस सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव के बारे में जो परम्परा रही है वह यह रही है कि पढ़ देने के बाद भी उसको आपने मंजूर कर दिया है।

आपने कई बार इस सदन में प्रस्ताव को पढ़ दिया है और नोटिस देने वाले सदस्य को सुन लिया है और तब आपने फैसला दिया है। मैं नम्रतापूर्वक आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपका जो आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा, लेकिन कृपया आप प्रस्ताव को पढ़ दें और मेरी बात सुन लें क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न है और चूंकि यह शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, जिस विभाग के द्वारा हम नव-निर्माण करने जा रहे हैं, इसलिये इस प्रस्ताव की अहमियत और बढ़ जाती है।

अध्यक्ष—क्या अल्प-सूचित प्रश्न से आपका काम नहीं चलेगा?

श्री रामानन्द तिवारी—जी नहीं।

अध्यक्ष—सरकार का कहना है कि सस्पेंशन हो गया है।

कुमार गंगानन्द सिंह—रिजनल डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ एडुकेशन ने इनक्वायरी की है और उन्होंने सरकार को सूचित किया है कि

"I am drawing proceedings against her and asking her to explain her conduct".

*श्री राम जनम ओझा—अध्यक्ष महोदय, बातें इस तरह हो रही हैं जो हमलोगों को समझ में नहीं आती कि विषय क्या है? इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि श्री रामानन्द तिवारी को आप आज्ञा दें कि वे अपना प्रस्ताव सभा के समक्ष पढ़ दें और अपनी बातें कहें, जिस तरह आपने श्री रामानन्द सिंह को अभी आज्ञा दी थी।

अध्यक्ष—श्री रामानन्द तिवारी का कहना है कि १२ सितम्बर को सस्पेंशन हुआ लेकिन शिक्षा मंत्री कहते हैं कि सस्पेंशन अभी हुआ ही नहीं है। प्रोसीडिंग्स ड्रा करने को कहा गया है....

*Shri KRISHNA KANT SINGH: The Regional Dy. Director of Education has reported to Government that he is drawing proceedings against her to explain her conduct. This report is dated 12th September, 1959.

श्री रामजनम ओझा—मैं एक प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहता हूं। सभा के अंदर जो कार्यवाही चलती रहे वह हर सदस्यों की समझ में आनी चाहिये। अभी जो बातें हो रही हैं उसको हमलोग साफ-साफ नहीं समझ रहे हैं इसलिये हाउस के प्रोसीडिंग्स को समझ नहीं सकते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप प्रस्ताव के मूवर को आज्ञा दें कि वे अपनी बातों को सभा के समक्ष रखें ताकि हाउस के प्रोसीडिंग्स को हमलोग समझ सकें।

श्री रामानन्द सिंह—मेरा कहना यह है.....

अध्यक्ष—आपको कुछ नहीं कहना है। श्री रामानन्द तिवारी बतावें कि क्यों उनका यह प्रस्ताव लिया जाय।

श्री रामानन्द तिवारी—मेरे इस काम-रोको प्रस्ताव को क्यों लिया जाय इसका मैं कारण बताता हूं। शिक्षा विभाग एक अति महत्वपूर्ण विभाग है। उसमें मानव का निर्माण होता है....

श्री कृष्णकांत सिंह—मेरा प्वायन्ट आफ आर्डर है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि १२ तारीख को यह आर्डर हुआ और १४ को काम में आया।

विरोधी बेंच से कुछ सदस्यगण—यह कहां कहा?

श्री कृष्णकांत सिंह—उन्होंने कहा है पहले कि १२ तारीख को यह आर्डर हुआ और १४ तारीख को लाया गया इसलिये १७ तारीख के पहले वह इसको नहीं ला सकते थे। लेकिन १४ तारीख को मिला या नहीं मिला इसका सवाल ही कहां पैदा होता है? यह आर्डर सस्पेंशन में था....

श्री रामचरित्र सिंह—यह कहा गया इनसे कि वह अपने एंडजौर्नमेंट मोशन के बारे में कहें और गवर्नमेंट से भी पूछा गया कि वह भी जो कहना हो कहें। ऐसी हालत में मेम्बरों के लिये यह बता दिया जाता कि वह मोशन क्या है।

अध्यक्ष—उनको बताना है मेम्बरों को कि उनका क्या मोशन है।

श्री रामचरित्र सिंह—लेकिन आप पढ़ दें तो आसान हो जायगा और हमलोग तैयार रहेंगे उनकी और गवर्नमेंट की बातों को समझने के लिये।

अध्यक्ष—रूल इस तरह है:

"If the Speaker is of opinion that the matter proposed to be discussed is in order, he shall read the statement to the Assembly and ask whether the member has the leave of Assembly to move the motion...."

But if the Speaker does not think that the matter to be discussed is in order, then?

Shri RAM CHARITRA SINHA : But you have to see, Sir, what the members are to do?

अध्यक्ष—अगर मेम्बरों को वह नहीं समझा सकते हैं तो यह उनकी कमी है।

श्री हरिनाथ मिश्र—मेरा एक प्वायन्ट ऑफ आर्डर है। अगर कोई प्वायन्ट ऑफ आर्डर उठ सकता था तिवारी जी के स्पीच पर तो सिर्फ इसी बात पर कि शिक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और उसमें मानव का निर्माण होता है। इतना ही किसी भी प्वायन्ट आफ आर्डर का विषय हो सकता है। इसलिये अभी जो प्वायन्ट लाया गया है उसका इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—अभी प्रश्न यह है कि उसको पढ़ सकते हैं या नहीं। जो रूल आपने कोट किया उससे यही जाहिर होता है कि पढ़ देने के बाद यह समझा जायगा कि आपने उसको कबूल कर लिया कि वह आर्डर में है। मैं समझता हूं यह रूल का दूसरा इन्टरप्रेटेशन है। रूल कहता है:

"If the Speaker" considers it to be in order then he will read it out to the House

लेकिन अभी वह स्टेज नहीं आया है। अभी यह स्टेज है जिसमें आप जांच कर रहे हैं कि मोशन आर्डर में है या नहीं। इसलिये अभी पढ़ने का स्टेज ही नहीं आया है।

अध्यक्ष—पढ़ने को तो हम सौ बार पढ़ें लेकिन असेम्बली के सामने पढ़ने की बात है।

The relevant rule states the circumstance in which it will be read out to the Assembly. And I am not going to do that.

श्री रामजनम ओझा—आपने कहा कि श्री रामानन्द तिवारी कहें कि क्यों उनका मोशन मंजूर किया जाय। जब उन्होंने कहना शुरू किया तो श्री कृष्णकान्त सिंह जी की ओर से आब्जेक्शन हुआ प्वायन्ट आफ आर्डर के जरिये। वह प्वायन्ट आफ आर्डर आना चाहिये था फौरन जब वह बात हो रही थी और उसी के सम्बन्ध में जब यह बात उठाना वह चाहते थे। इस समय इस बात को वह नहीं ला सकते हैं। इसलिये उनके प्वायन्ट आफ आर्डर को नहीं मानकर तिवारीजी को आगे बोलने दिया जाय।

अध्यक्ष—अभी प्वायन्ट आफ आर्डर डेट के बारे में है कि किस डेट के वाकया के बारे में यह ऐडजौर्नमेंट मोशन देना चाहते हैं।

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, यह घटना जो घटी उसकी पृष्ठभूमि में इसलिये आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपके द्वारा सरकार तथा माननीय सदस्यों को यह मालूम हो जाय और वे इस बात को समझ जायें जिससे माननीय सदस्यगण इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि क्या सचमुच यह कार्यस्थगन का प्रस्ताव ऐसा है कि इसको स्वीकार किया जाय?

अध्यक्ष—घटना की गम्भीरता एक बात हुई और दूसरी बात यह है कि किस डेट को इस घटना पर यह मोशन लाना चाहिए।

श्री रामानन्द तिवारी—१२ तारीख का जो आदेश शिक्षा विभाग ने निकाला है उसका असर १४ तारीख को पड़ा है। माननीय उपमंत्री ने कहा और माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा, आप स्वयं विचार करें, कि ऐक्चुअली सस्पेंशन आर्डर ईशू हुआ या नहीं यह देखना है। यह विश्लेषण लगा दिया गया है और किस लिए यह विश्लेषण लग गया है उसको मैं बताता हूं।

१२ तारीख को शिक्षा विभाग की ओर से डिप्टी डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग, मुजफ्फरपुर को आदेश गया और १४ तारीख तक वहां पर जो उसका असर हुआ, उसे मैं हाउस के सामने रख देना चाहता हूं।

अध्यक्ष—इसके बारे में तो आपने लिखा नहीं है।

श्री रामानन्द तिवारी—१२ तारीख को आदेश गया, जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री मानते हैं और १४ तारीख तक सस्पेंशन हुआ।

श्री कृष्णकांत सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि केवल प्रिजम्पशन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, १२ तारीख को जो आदेश गया वह १४ तारीख तक एक्जीक्यूट हुआ या नहीं।

I would like to know from the hon'ble member whether the order has been executed or not. Has the person concerned been suspended or not? If she has been suspended, then the matter should be proceeded; otherwise, it should not be proceeded on presumption.

अध्यक्ष—इस ऐडजोर्नमेंट मोशन में बहुत-सी बातें हैं और अभी इसका फैसला नहीं हो सकता है। इसलिये मैं इस मोशन को कल के लिये स्थगित करता हूं जिसमें दोनों तरफ की और बातों की जानकारी हासिल करने और उनको यहां पर पेश करने के लिये मौका मिले।

सभा के सामने बहुत काम है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे हाउस का अधिक समय न लें। अब दूसरा काम होगा।

विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

Legislative Business : Official Bills :

पटना युनिवर्सिटी ऐंड युनिवर्सिटी ऑफ बिहार (अमेंडमेंट) बिल, १९५९ (१९५९ की विधेयक संख्या १३)।

(THE PATNA UNIVERSITY AND UNIVERSITY OF BIHAR (AMENDMENT) BILL, 1959 (L.A. BILL NO. 13 OF 1959).

कुमार गंगानन्द सिंह—महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पटना युनिवर्सिटी ऐंड युनिवर्सिटी आफ बिहार (अमेंडमेंट) बिल, १९५९ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।